29

(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,

सदस्य

निगरानी 1832/तीन/2003 विरुद्ध आदेश दिनांक 30/12/1996 पारित द्वारा अपर रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 595/अपील/1991

---

1. श्री सुखनिधान तनय लालमणि
2. रामायण तनय हरवंश प्रसाद
3. मंगल तनय गजरूप काछी

निवासी ग्राम सन्नेही तहसील अमरपाटन
जिला–सतना म0प्र0 .....**आवेदक**

विरुद्ध

श्री दिनेश कुमान तनय सुरेश प्रसाद
निवासी ग्राम सन्नेही तहसील अमरपाटन
जिला– सतना म0प्र0 .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए. के. अग्रवाल

आदेश

(आज दिनांक....20.6.19.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 595/अपील/1991 में पारित आदेश दिनांक 30/12/1996 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार ताला द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-05-1990 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06-07-1992 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की

गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-12-1996 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अदालत मातहत ने इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि विवादित भूमि खसरा क्रमांक 177 रकबा 0.32 ए0 स्थित ग्राम सन्नेही भूतपूर्व पवाईदार की भूमि थी व हाल बन्दोबस्त से ही मेढ के रूप में अमिलिखत थी मूतपूर्व पवाईदार को सहमति से ही आवेदकगण व उनके मूरिशान काविज थे तथा अपनी इच्छानुसार उपयोग करते चले आ रहे थे। उक्त तथ्य अवेदकगण द्वारा प्रस्तत जवानी साक्ष्य से प्रमाणित था तथा खसरे के इन्द्राज खण्डित किए गए थे। जिस कानूनी तथ्य पर बिना ध्यान दिए अपील स्वीकार कर ना0 तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का निर्णय निरस्त करने में महान कानूनी एवं वैयक्तिक भूल की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अदालत मातहत ने इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया कि विवादित भूमि खसरा क्रमांक 177 से लगी अनावेदक की कोई भूमि नहीं है व न ही उसका किसी प्रकार से विवादित भूमि पर निस्तार या उपयोग ही है तथा उस पर उसका किसी प्रकार का सुविधाजनक उपयोग नहीं है। जिस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में व आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करके आवेदकगण का देरीना कब्जा प्रमाणित था जिसे नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने भी प्रमाणित पाया था व खसरे के इन्द्राजों को खण्डित होना पाया था। जिस तथ्य पर बिना गौर किए तथा बिना कोई कारण दर्शाए खसरों में मात्र आवेदकगण के कब्जे की प्रविष्टियां न होने से साक्ष्य पर आधारित दो न्यायालय के समवर्ती निष्कर्स को द्वितीय अपील के सीग में निरस्त कर अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया कि धारा 250 के तहत सहायता प्राप्त कारने का पूर्ण भार था जिस भार का निर्वहन कतई अनावेदक द्वारा वहन नहीं किया गया था। साथ ही आवेदन दिनांक व आवेदकगण द्वारा किए गए कब्जा दिनांक को अनावेदक भूमिस्वामी नहीं था। जिन कानूनी मुद्दों पर बिना विचार किए ही अपील स्वीकार कर वेदखली आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया कि अदलत मात हत का निर्णय प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के विपरीत तथा आई हुई साक्ष्य की बिना विवेचना पर आधारित है व मात्र अनुमान तथा अन्दाज के आधार पर आधारित होने से निर्णय दूषित है व निरस्त किए जाने योग्य है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया कि अदालत मात हत के समक्ष अपील का पक्षकार क्र. 3 (रामाधार तनय गजरूप) आदेश पारित किए जाने के करीब 3 साल पूर्व ही मृत हो

चुका था। जिसकी जानकारी भी न्ययालय में दी गई थी। किन्तु उसके विविध प्रतिनिधि आवेदक क्र0 3 को बिना प्रत्यस्थापित किए अपील का निर्णय मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि अदालत मात हत के समक्ष अपील का उपसमन हो चुका था। इससे भी निर्णय शून्य होने से निरस्त योग्य है।

4. अनावेदक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

5. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में स्वयं स्वीकार किया है कि आवेदकगणों का विवादित भूमि पर कब्जा दर्ज नहीं है । ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना कि उनका विवादित भूमि पर लम्बे अरसे से कब्जा है । के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है । अनुविभागीय द्वारा धारा 250 के प्रकरण में स्थल निरीक्षण किये जाने का आदेश पारित किया गया है । जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उचित है । स्थल निरीक्षण से उभय पक्ष के कब्जे के संबंध में एवं भोगोलिक स्थिति के संबंध स्थिति स्पष्ट हो सकेगी । अत: अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 30/12/1996 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है वे स्थल निरीक्षण के संबंध में सभी विधिक प्रक्रियाओं एवं नियमों का पालन करते हुए समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को आहूत करके उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत गुण-दोषों पर प्रकरण का निराकरण करें ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 30/12/1996 निरस्त किया जाता है ।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर